**भारत सरकार**

**विद्युत मंत्रालय**

**....**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-1877**

**जिसका उत्तर 09 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।**

**विद्युत उत्पादक कंपनियों पर ऋण**

**1877. श्री संजय सिंहः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में 34 विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों पर 1.74 लाख करोड़ रुपए का ऋण संचित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो विद्युत क्षेत्र को संभावित अशोध्य ऋणों से बाहर निकालने हेतु सरकार की क्या योजना है; और

(ग) विगत दो वर्षों से इन 34 विद्युत उत्पादक कंपनियों की ऋण राशि का कंपनी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री**

**(श्री आर. के. सिंह)**

**(क) :** वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची के अनुसार, 1.77 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित ऋण वाली 34 ताप विद्युत (कोयला आधारित) विद्युत परियोजनाएं संकटग्रस्त थीं।

**(ख) :** विद्युत क्षेत्र में संकटग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध** में सूचीबद्ध किए गए हैं।

**(ग) :** सूचना एकत्र की जा रही है।

********

**अनुबंध**

**राज्य सभा में दिनांक 09.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1877 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।**

*********

भारत सरकार ने संकटग्रस्त ताप विद्युत परियोजनाओं के मामलों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एचएलईसी) गठित की थी। एचएलईसी की रिपोर्ट 12.11.2018 को प्रस्तुत की गई थी और इसे विद्युत मंत्रालय की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में भी रखा गया था।

उसके बाद सरकार ने एचएलईसी की विशिष्ट सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) का गठन किया था। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त विद्युत परियोजनाओं के बारे में सिफारिशें की थीं। सरकार द्वारा यथाअनुमोदित जीओएम की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

(i) लघु अवधि विद्युत क्रय करार (पीपीए) के लिए कोयला लिंकेज मंजूर करना।
(ii) डिस्कॉमों द्वारा भुगतान चूक के कारण पीपीए की समाप्ति के मामले में प्रयोग किए जाने हेतु मौजूदा कोयला लिंकेज की अनुमति देना।
(iii) पूर्व घोषित लिंकेजों के लिए नोडल एजेंसी द्वारा थोक विद्युत का प्रापण।
(iv) केंद्रीय/राज्य जेनको द्वारा विद्युत समूहक के रूप में कार्य करना।
(v) विद्युत क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई-नीलामी के लिए कोयले की मात्रा में वृद्धि करना।
(vi) नियमित अंतराल पर कोयला लिंकेज की नीलामी किया जाना।
(vii) कोयले की कम आपूर्तियों की नॉन-लैप्सिंग।
(viii) दक्षता आधार पर वार्षिक संविदा मात्रा (एसीक्यू) निर्धारित किया जाना।
(ix) विलंब भुगतान अधिभार (एलपीएस) का अनिवार्य भुगतान।
(x) राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण (एनसीएलटी) परिदृश्य के बाद विद्युत क्रय करार (पीपीए)/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)/दीर्घकालीन खुली पहुँच (एलटीओए) को रद्द न करना।
(xi) वाणिज्यिक प्रचालन तारीख (सीओडी) का अनुपालन न होने की स्थिति में पीपीए का गैर-निरस्तीकरण।

**********